

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 38/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.09.2017

निर्णय दिनांक : 03.11.2017



राजस्थान सरकार

बनाम

प्रभूलाल पुत्र गणपतलाल

जाति रेबारी नि0 सरदारपुरा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रभूलाल पुत्र गणपतलाल जाति रेबारी निवासी सरदारपुरा नें ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 330/87, 328/87, 311/87 कुल कित्ता 3 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से रकबा 0.81 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2074 में कास्त (बाजरा 0.51 है0) व कब्जा कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटीस की प्रति गैर सायल स्वयं ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुआ। तथा जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि मौके से खाली कर दी गयी है।

गैर सायल आज दिनांक को अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई गैर सायल का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायल ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम सरदारपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 330/87, 328/87, 311/87 कुल कित्ता 3 रकबा 0.81 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगान 4.05 का पच्चास गुणा से

लगातार

(2)

राशि 205/- अक्षरे दो सौ पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को फसल निलामी व गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भीमसिंह ^{amc} लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0